मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में
प्रदेश
जबलपुर में
पहले
माननीय श्री न्यायमूर्ति विशाल धगत
22 को अप्रैल, 2024 की तारीख

2024 की रिट याचिका संख्या 8402

बीच में:-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अतिथि
शिक्षक संग, इसके जोड़ के माध्यम से
सचिव, अजय कुमार जायसवाल, पुत्र श्री
बरेलाल जायसवाल, उम्र लगभग 33 वर्ष,
याचिकाकर्ता संघ के संयुक्त सचिव,
व्यवसाय- अतिथि शिक्षक, निवासी मकान नं.161,
वार्ड नंबर 9, गारम डुंडोल, पोस्ट
भदौरा, तहसील-मझौली, जिला-
सीधी, मध्य प्रदेश।

.....याचिकाकर्ता

(श्री उत्कर्ष अग्रवाल द्वारा - अधिवक्ता)

और

1. मध्य प्रदेश राज्य,
इसके प्रधान सचिव के माध्यम से,
जनजातीय कल्याण विभाग, वल्लभ
भवन (मंत्रालय), जिला
भोपाल, म.प्र

2. मध्य प्रदेश स्पेशल और
आवासीय शैक्षणिक सोसायटी
इसके सचिव अर्थात के माध्यम से
आयुक्त जनजातीय मामले
मप्र शासन जिला (मध्य।)
प्रदेश)

3. आयुक्त जनजातीय कल्याण
विभाग मप्र शासन कार्यालय
आयुक्त जनजातीय कार्य सह
सचिव मध्य प्रदेश विशेष
और आवासीय शैक्षणिक सोसायटी
(एमपीसारस) जिला (मध्य प्रदेश)

4. राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी के लिए
आदिवासी छात्र इसके माध्यम से (घोंसला) बनाते हैं
सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार जीवन तारा
संसद मार्ग का नया निर्माण
डेल्ही डेल्ही)

5. भारत संघ जनजातीय मंत्रालय
इसके सचिव के माध्यम से मामले
राजेंद्र प्रसाद रोड शास्त्री
भवन नई दिल्ली (दिल्ली)

....प्रतिवादी

(श्री सुबोध कठार द्वारा - सरकारी वकील)

इस दिन सुनवाई के लिए आने वाली यह याचिका अदालत ने पारित कर दी
निम्नलिखित:

आदेश

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है
भारत सरकार उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को देने के लिए रिट जारी करने की प्रार्थना कर रही है
नियमित चयन में भाग लेने पर याचिकाकर्ता सदस्य को प्राथमिकता
न्याय के हित में ईएमआरएस के तहत पोस्ट। ऐसी भी प्रार्थना की जाती है
याचिकाकर्ता के सदस्यों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता
"अतिथि शिक्षक" के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष चयन प्रक्रिया। प्रार्थना है
नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार करने को कहा।

2. याचिकाकर्ता की नियमितीकरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता
इस न्यायालय में समान योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी दिया जाना है
नियमित चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर। यदि याचिकाकर्ता हैं
उक्त पद पर नियमित किये गये तो समान स्थिति वाले व्यक्ति
योग्यता अवसर से वंचित रह जायेगी। के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना
नियमितीकरण न्यायसंगत नहीं है. यदि याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाता है तो अन्य
उम्मीदवारों को पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलेगा। वही देंगे

इसलिए, पिछले दरवाजे से प्रवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रार्थना की गई
अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण खारिज।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह भी कहा है प्रार्थना है कि निर्देश जारी किया जाए ताकि याचिकाकर्ता को ऐसा न करना पड़े अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। याचिकाकर्ता की उक्त प्रार्थना पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के अंतर्गत आती है इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा WP No.6159/2022 में {प्रदीप कुमार Y adav और अन्य बनाम. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य}।

4. विद्वान सरकारी वकील ने रिट याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत असमान और विरोधाभासी है समानता के लिए. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षाएँ परीक्षण के लिए आयोजित की जाती हैं इसलिए अतिथि शिक्षक की पात्रता एवं अन्य योग्यताओं पर याचिका दायर की जा सकती है खारिज कर दिया।

5. पक्षों के वकील को सुना।

6. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कुछ राहत की प्रार्थना की गई है प्रदीप कुमार (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय द्वारा सीधे तौर पर कवर किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है:-

1. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पद पर बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है "अतिथि शिक्षक" की जब तक नई नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती उक्त पोस्ट.

2. याचिकाकर्ता को पात्रता की बार-बार परीक्षा नहीं दी जाएगी और अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता, यदि एक बार वह परीक्षण कर लिया है.

3 . अतिथि शिक्षक को बर्खास्त करने का राज्य का अधिकार बरकरार रखा गया है अनुबंध समझौते के अनुसार या यदि वह अपना कर्तव्य नहीं निभाता है

ठीक से।

4. अतिथि शिक्षक को किन कारणों से बंद किया जा सकता है? समझौते की धारा के अनुसार अक्षमता।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

(विशाल धगत)
न्यायाधीश

ऽए